उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–493/ix-1/2022-651/ix-1/2011 T.C.
देहरादूनः दिनांक 29 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना संख्या–466......./ix-1/2022-651/ix-1/2011T.C.,दिनांक....... दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 की हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख्य की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–समस्त मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त, गढ़वाल व कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियाँ परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

संलग्नक–यथोक्त।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

C.S.BISHT,C:\Usher Education New\Documents\D.S.Rawat\U.O.letter

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्याः 466/ix–1/651/ix-1/2011
देहरादून : दिनांक 29 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्त्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004 (समय–समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्त्तन कर्मचारी वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1\. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्त्तन कर्मचारी वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 में संशोधन

2\. उत्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्त्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली, 2004 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम (1) के प्रवर्त्तन सिपाही सम्बन्धी उपबंध के स्थान पर, स्तम्भ–2 में दिया गया उपबंध रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

	स्तम्भ–I **विद्यमान उपबंध**	**स्तम्भ–II** **एतद्द्वारा प्रस्तावित उपबंध**
पदनाम	**5(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–	**5(1)** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी–
प्रवर्त्तन सिपाही	(एक) संवर्ग के 66 2/3 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (दो) संवर्ग के 33 1/3 प्रतिशत पद विभाग के समूह 'घ' के ऐसे स्थायी कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा जो नियम 8 (एक) में दी गयी अर्हताओं एवं नियम–13 में दी गयी शारीरिक स्वस्थता के मापदण्डों को पूरा करते हों और जो यह चाहते हों कि पद के लिये उनके मामले में विचार किया जाये। परन्तु यह कि यदि भर्ती के किसी वर्ष में पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद सीधी भर्ती से भरे जा सकते हैं।	(एक) संवर्ग के शत–प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
सचिव।

C:\BISHT\ \Documents\P.K. Verma\Cabinet order\New Cabinate Note_19-07-2017\cabinate note

Scanned by CamScanner

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.-466/IX/2022, dated 29 December, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand

Transport Section -1

No.466 /ix-1/2022/651/ix-1/2011

Dehradun : Date 29 December, 2022

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend The Uttarakhand Transport Department Enforcement Staff Service Rules, 2004 (as amended from time to time):-

The Uttarakhand Transport Department Enforcement Staff Service (Amendment) Rules, 2022

Short title and commencement 1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Transport Department Enforcement Staff Service (Amendment) Rules, 2022.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of rule 5 2. In the Uttarakhand Transport Department Enforcement Staff Service Rules, 2004, for existing provision of Enforcement Constable in sub rule (1) of rule 5 set out in column-I below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely:-

	Column-I Existing provisions	Column-II Hereby substituted provisions
Post name	5(1) Recruitment on the various post of service shall be done from following sources of recruitment-	5(1) Recruitment on the various post of service shall be made from following sources of recruitment-
Enforcement constable	(i) 66 2/3 percent post of cadre by Direct Recruitment. (ii) 33 1/3 percent post of cadre by promotion from amongst such Group "D" permanent employee of department who fulfills the eligibility given rule 8(1) and criteria of physical fitness given in rule 13 and who wants that for the post their matter shall be considered. Provided that in case during any year of recruitment no eligible candidates by promotion are available, the post may be filled by direct recruitment.	100 percent post of cadre by Direct Recruitment.

By order,

(Arvind Singh Hyanki)
Secretary.

C:\Users\...\Cabinet order\New Cabinet Note_19-07-2017\cabinete note

Scanned by CamScanner